"नदियों के अंतर्योजन की परियोजना के मुद्दों पर उपलब्ध भिन्न अध्ययनों/ रिपोर्टों के मूल्यांकन हेतु गठित उप-समिति" (उप-समिति-I) के पांचवी बैठक की कार्यवृत्त।

मुद्दा संख्या 5.1: 30.6.2015 को नई दिल्ली में आयोजित "नदियों के अंतर्योजन की परियोजना के मुद्दों पर उपलब्ध भिन्न अध्ययनों/ रिपोर्टों के मूल्यांकन हेतु गठित उप-समिति" (उप-समिति-I) के चौथे बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

संचारण अनुसार 30.6.2015 को आयोजित उप-समिति – I के चौथे बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

मुद्दा 5.2: उप-समिति के कार्यकाल का विस्तारण

यह सूचित किया गया कि 13.07.2015 को आयोजित विशेष समिति के पाँचवें बैठक के दौरान न.के.अं. की परियोजना के लिए गठित विशेष समिति द्वारा उप-समिति के कार्यकाल विस्तारण के मुद्दे पर विचार किया गया था और उप-समिति का कार्यकाल अतिरिक्त छह महीने, अर्थात 12 फरवरी, 2016 तक विस्तारित कर दिया गया था।

मुद्दा संख्या 5.3: उप-समिति के कार्यों के निष्पादन हेतु सलाहकारों की नियुक्ति

[यह सूचित किया गया कि रा.ज.वि.अ के शासी निकाय के अध्यक्ष के रूप में सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय ने न.के.अं की परियोजना के विशेष समिति, इसके भिन्न उप-समितियों और कार्यबल के कार्य निष्पादन हेतु 12 सलाहकारों (वरिष्ठ स्तर पर 6, मध्य स्तर पर 4 और कनिष्ठ स्तर पर 2) को नियुक्त करने के अनुमोदन पर अपना एकमत्य प्रदान किया है।

मुद्दा संख्या 5.4: उप-समिति का विस्तारण – अन्य विभागों/ मंत्रालयों से प्रतिनिधियों का समावेशन

यह सूचित किया गया कि रा.ज.वि.अ. ने (i) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (प.व.ज.प.मं); (ii) कृषि मंत्रालय; जनजाति मंत्रालय (ज.मं); (iii) वित्त मंत्रालय (वि.मं); (iv) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि.प्रा); (v) केन्द्रीय जल आयोग (के.ज.आ) और (vi) नीति आयोग के विभागों/ मंत्रालयों से प्रतिनिधियों के समावेशन के मुद्दे को जल संसाधन, न.वि और गं.सं. मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत किया था। कृ.मं, के.वि.प्रा, के.ज.आ और नीति आयोग से नामांकन का विवरण मिल चुका है। प.व.ज.प.मं, ज.मं और वि.मं से इन विवरणों के मिलने की प्रतीक्षा है। यह तय किया गया कि बाकी के मंत्रालय से नामांकन प्राप्त करने के लिए इस मामले पर आगे भी अनुसरण किया जा सकता है।

मुद्दा संख्या 5.5: रा.ज.वि.अ के त.स.स के दिशा-निदेशों और किसी नदी के जलाशय में जल संतुलन/ अभाव गणना की प्रक्रिया को कवर करता प्रस्तुतीकरण

श्री के.पी गुप्ता, अधीक्षण अभियंता, रा.ज.वि.अ ने बताया कि 30 जून, 2015 को आयोजित उप-समिति के चौथे बैठक के दौरान रा.ज.वि.अ के त.स.स के दिशा-निदेशों और किसी नदी के जलाशय में जल संतुलन/ अभाव गणना की प्रक्रिया को कवर करता प्रस्तुतीकरण पेश किया गया था। उस प्रस्तुतीकरण के दौरान उप-समिति ने जल विज्ञान अध्ययनों के मानदंड की समीक्षा के संबंध में और मौजूदा सहमति के सन्दर्भ में गो.ज.वि.न्या निर्णय के प्रावधानों के बारे में सदस्यों की राय जानने का निर्णय लिया ताकि उप-समिति उन सभी दृष्टिकोण पर विचार कर सके।

श्री ए.सी. त्यागी, महासचिव, अं.सिं.ज.आ जिन्होंने इस संबंध में पहले एक संक्षिप्त रिपोर्ट जमा की थी, उन्होंने अभिव्यक्त किया कि मॉडलिंग पद्धति के उपयोग से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (वि.प.रि) के लिए जल उपलब्धता आंकलन

अध्ययन निष्पादित किया जा सकता है ताकि यह तकनीकी, कानूनी और सार्वजनिक परीक्षणों पर खरा उतर सके और रा.ज.वि.अ के तहत एक समर्पित इकाई स्थापित करने की इच्छा प्रकट की।

श्री ए.डी भरद्वाज, पूर्व महानिदेशक, रा.ज.वि.अ एवं उप-समिति के सदस्य ने बताया कि ज.सं, न.वि और गं.सं.मं द्वारा अनुमोदित वि.प.रि की तैयारी के लिए रा.ज.वि.अ विचारणीय विषयों (वि.वि) (दिशा-निदेशों) के उपयोग से वि.प.रि तैयार कर रहा है। इन वि.वि में मॉडलिंग पद्धति का सुझाव दिया गया है।

महानिदेशक, रा.ज.वि.अ ने कहा कि वि.प.रि की तैयारी में जल संसाधन, न.वि और गं.सं मंत्रालय (2010) के सिंचाई एवं बहु-कार्य परियोजनाओं रिपोर्ट की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के आधुनिक दिशा-निदेशों का पालन किया जा रहा है, जिसमे रा.ज.वि.अ द्वारा निर्मित वि.वि शामिल है।

विचार-विमर्श के पश्चात यह तय किया गया कि आँकड़ों की उपलब्धता और आवश्यक विशेषज्ञता/ संरचनाओं के उपलब्धता पर निर्भर कर जहाँ कहीं भी व्यवहार्य होने पर एक उन्नत तकनीक मॉडलिंग पद्धति जल उपलब्धता आंकलन को भी अपनाया जा सकता है।

मुद्दा संख्या 5.6: अध्यक्ष के अनुमति से कोई अन्य मुद्दा

उप-समिति की अगली बैठक 29.9.2015 को नई दिल्ली में आयोजित होगी।

अध्यक्ष का धन्यवाद करते हुए बैठक समाप्त हुई।

नदियों के अंतर्योजन की परियोजना के मुद्दों पर उपलब्ध भिन्न अध्ययनों/ रिपोर्टों के व्यापक मूल्यांकन हेतु गठित उप-समिति के बैठक के सहभागी

1. श्री बी.एन नवलावाला — अध्यक्ष
   मुख्य सलाहकार, ज.सं, न.वि और गं.सं मंत्रालय
2. श्री ए.डी मोहिले — सदस्य
   पूर्व अध्यक्ष, के.ज.आ
3. श्री ए.सी त्यागी — सदस्य
   महासचिव, अं.सिं.ज.आ
4. श्री एस.एन हुद्दार — सदस्य
   पूर्व सचिव (ज.सं.वि),
   महाराष्ट्र सरकार
5. श्री ए.डी भारद्वाज, — सदस्य
   पूर्व महानिदेशक, रा.ज.वि.अ और पूर्व सदस्य, के.ज.आ
6. श्री के.पी गुप्ता, — सचिव
   अधीक्षण अभियंता, रा.ज.वि.अ

विशेष अतिथिगण:

7. श्री आर.के जैन,

मुख्य अभियंता (ज.यो.प्र.सं), के.ज.आ

8. श्री विनय कुमार,
   मुख्य अभियंता (ज.स.सं)
9. श्री टंकाधर साहू,
   मुख्य अभियंता
   जल संसाधन विभाग,
   ओडिशा सरकार, भुबनेश्वर
10. श्री उपेन्द्र सेठी,
    उप निदेशक,
    मुख्य अभियंता कार्यालय,
    जल संसाधन विभाग,
    ओडिशा सरकार, भुबनेश्वर

विशेष अतिथिगण रा.ज.वि.अ

11. श्री एस. मसूद हुसैन,
    महानिदेशक, रा.ज.वि.अ
12. श्री आर.के जैन,
    मुख्य अभियंता (मुख्यालय), रा.ज.वि.अ
13. श्री एच.एन दिक्षित,
    मुख्य अभियंता, (उत्तर), रा.ज.वि.अ
14. श्री बी.एल शर्मा,
    अधीक्षण अभियंता, रा.ज.वि.अ